भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 2829
दिनांक 05.12.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

नल के माध्यम से जलापूर्ति

2829. श्री ज्योतिर्मय सिंह महतोः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा नल के माध्यम से कितने घरों में पेयजल की आपूर्ति की जाती है और ऐसे लोगों का प्रतिशत कितना है तथा उक्त योजना के अंतर्गत शामिल किए गए घरों की पश्चिम बंगाल सहित राज्य-वार संख्या कितनी है;
(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि आवंटित/जारी और व्यय की गई है;
(ग) नल के माध्यम से पेयजल प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस संबंध में पश्चित बंगाल सहित राज्य-वार कितनी धनराशि व्यय किए जाने की संभावना है; और
(घ) सभी ग्रामीण आवासों में नल के माध्यम से पेयजल कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

उत्तर
राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय
(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) नल कनेक्शन के माध्यम से पाइप युक्त जलापूर्ति उपलब्ध कराए जा रहे घरों की संख्या और प्रतिशत का पश्चिम बंगाल सहित राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग नल कनेक्शन के साथ पाइप युक्त जलापूर्ति प्राप्त लोगों की संख्या का रिकार्ड नहीं रखता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्कालीन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत और वर्तमान वर्ष में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत आबंटित/ जारी की गई निधियों की कुल राशि और सूचित व्यय का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(ग) जेजेएम के अंतर्गत, भारत सरकार ने अगले पांच वर्षों अर्थात् 2024 तक 3.60 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय की योजना बनाई है जिसमें से केन्द्र सरकार का अंशदान 2.08 लाख करोड़ रुपए है और शेष राशि अंश राज्य का है। चूंकि पेयजल राज्य का विषय है, इसलिए राज्य, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने संसाधनों से अतिरिक्त निधियां व्यय कर सकते हैं। राज्य से अतिरिक्त निधियों की प्राप्ति को देखते हुए यह संभव नहीं है कि राज्य द्वारा व्यय की जाने वाले संभावित व्यय की सटीक राशि बताई जा सके।

(घ) भारत सरकार ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरूआत की है जिसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण घर को पीने योग्य जल उपलब्ध कराना है।

दिनांक 05.12.2019 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2829 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

पीडब्ल्यूएस नल कनेक्शन वाले ग्रामीण घरों का राज्य-वार विवरण

(**दिनांक 02.12.2019 की स्थिति के अनुसार**)

क्र.सं.	**राज्य**	पीडब्ल्यूएस नल कनेक्शन युक्त कुल ग्रामीण घर	पीडब्ल्यूएस नल कनेक्शन युक्त कुल घरों का %
1.	अंडमान और निकोबार	6,604	10.15
2.	आंध्र प्रदेश	30,49,743	33.56
3.	अरुणाचल प्रदेश	19,998	9.06
4.	असम	1,27,964	2.21
5.	बिहार	3,36,276	1.88
6.	छत्तीसगढ़	39,222	9.11
7.	गोवा	1,42,914	88.51
8.	गुजरात	50,82,540	78.46
9.	हरियाणा	17,58,292	53.47
10.	हिमाचल प्रदेश	7,59,047	56.27
11.	जम्मू एवं कश्मीर	4,89,715	30.57
12.	झारखंड	2,97,569	5.92
13.	कर्नाटक	35,36,334	43.81
14.	केरल	15,36,707	16.75
15.	लद्दाख	1,437	4.23
16.	मध्य प्रदेश	13,26,792	12.18
17.	महाराष्ट्र	50,75,300	38.44
18.	मणिपुर	24,512	5.58
19.	मेघालय	4,359	0.95
20.	मिजोरम	16,359	15.74
21.	नागालैंड	15,559	4.89
22.	ओडिशा	3,20,426	3.94
23.	पुडुचेरी	41,418	50.35
24.	पंजाब	17,57,713	53.24
25.	राजस्थान	11,49,036	12.38
26.	सिक्किम	87,431	99.34
27.	तमिलनाडु	29,33,243	29.74
28.	तेलंगाना	18,13,791	33.53
29.	त्रिपुरा	28,386	3.3
30.	उत्तर प्रदेश	3,45,452	1.33
31.	उत्तराखंड	2,16,182	14.32
32.	पश्चिम बंगाल	2,14,721	1.31
	कुल	**3,29,09,042**	**18.42**

स्रोत: आईएमआईएस, डीडीडब्ल्यूएस

दिनांक 05.12.2019 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2829 के उत्तर में उल्लिखित

अनुलग्नक-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत और वर्तमान वर्ष में जेजेएम के तहत राज्य-वार आबंटित, जारी तथा व्यय की गई निधियाँ

(राशि करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2016-17			2017-18			2018-19			2019-20 (30.11.2019 तक)		
		आबंटन	जारी	व्यय	आबंटन	जारी	व्यय	आबंटन	जारी	व्यय	आबंटन	जारी	व्यय
1.	अंडमान और निकोबार	0.45	0.22	NR	0.43	ND	NR	0.62	0.31	NR	1.45	0.5	NR
2.	आंध्र प्रदेश	181.02	204	157.38	159.51	233.09	267.03	197.56	185.85	186.28	303.47	151.73	41.44
3.	अरुणाचल प्रदेश	100.89	92.84	95.71	77.51	63.08	62.93	96.95	90.89	97.21	110.47	55.23	NR
4.	असम	401.43	348.06	203.09	524.1	474.8	387.2	567.89	300.76	336.25	578.65	339.33	102.34
5.	बिहार	311.7	373.81	470.96	394.53	355.6	216.1	476.63	234.84	148.48	638.9	301.58	77.18
6.	छत्तीसगढ़	70.65	84.28	65.66	64.33	49.84	49.89	95.47	48.19	43.41	169.42	65.82	13.15
7.	गोवा	2.44	1.19	3.35	2.32	ND	1.83	3.34	1.67	3.07	6.16	ND	NR
8.	गुजरात	281.14	278.5	265.16	231.62	290.86	315.14	237.09	222.27	223.42	317.85	158.93	158.93
9.	हरियाणा	114.53	111.53	114.2	118.95	88.82	87.34	81.88	76.76	94.48	122.12	61.06	1.23
10.	हिमाचल प्रदेश	69.65	83.31	64.73	66.02	101.85	129.42	91.12	85.43	85.43	121.07	60.54	NR
11.	जम्मू एवं कश्मीर (लद्दाख सहित)	232.88	225.14	219.94	222.26	325.33	344.86	309.07	249.34	251.88	397.96	188.67	NR
12.	झारखंड	115.86	131.74	157.89	172.68	209.09	171.47	207.97	85.12	136.73	218	104.76	13.11
13.	कर्नाटक	360.07	343.72	339.83	290.86	365.81	272.77	331.04	276.06	433.95	444.69	222.34	NR
14.	केरल	62.54	75.22	74.21	56.88	95.16	95.53	90.37	84.86	84.62	202.58	101.29	NR
15.	मध्य प्रदेश	213.87	232.26	212.48	195.67	135.51	163.35	274.09	243.62	250.43	465.49	232.74	52.48
16.	महाराष्ट्र	413.57	404.45	412.32	338.13	282.47	187.84	474.16	239.06	258.4	690.55	345.28	112.79
17.	मणिपुर	41.83	39.38	18.87	32.2	66.25	68.3	40.25	37.73	65.11	56.41	28.2	NR
18.	मेघालय	42.02	40.42	50	41.86	85.91	87.43	52.43	49.15	48.71	71.69	35.84	NR
19.	मिजोरम	25.33	24.49	24.82	22.4	46.1	25.93	28	26.25	46.46	33.22	16.61	NR
20.	नागालैंड	37.93	36.84	36.2	27.66	17.88	18.77	34.72	17.36	17.36	47.07	23.54	NR
21.	ओडिशा	114.99	134.96	100.14	102.69	83.59	93.48	154.99	128.82	172.45	297.03	148.51	38.59
22.	पुडुचेरी	0.86	0.29	NR	0.82	ND	NR	1.29	ND	NR	2.03	ND	NR
23.	पंजाब	46.02	51.89	53.56	115.25	173.29	103.64	125.97	119.41	112.78	185.24	92.62	11.49
24.	राजस्थान	1,114.55	1,072.92	681.21	891.95	714.24	728.81	692.13	655.41	878.48	856.47	428.24	93.34
25.	सिक्किम	14.77	19.42	15.21	9.3	17.51	11.6	11.62	10.89	21.06	12.85	6.42	4.1
26.	तमिलनाडु	155.29	174.68	175.08	121.61	185.1	191.4	180.99	167.31	168.92	302.89	151.45	NR
27.	तेलंगाना	117.03	133.09	111.89	775.01	843.56	592.47	131.4	123.18	420.9	211.04	105.52	76.01
28.	त्रिपुरा	39.48	43.73	38.73	32.26	83.93	42.77	55.18	51.73	53.88	89.71	1.09	15.6
29.	उत्तर प्रदेश	602.41	621.95	639.54	539.09	472.52	616.77	713.95	670.72	755.08	947.14	623.57	146.1
30.	उत्तराखंड	90.88	71.86	99.69	68.42	110.28	138.2	99.17	92.97	91.85	138.87	69.43	1.7
31.	पश्चिम बंगाल	437.17	418.97	423.68	810.48	996.68	599.45	917.82	890.28	547.47	809.37	404.69	106.04

आबंटन- केन्द्रीय आबंटन, जारी-केंद्र सरकार द्वारा जारी, व्यय- केन्द्रीय व्यय, एनडीः आहरित नहीं किया गया, एनआर- सूचित नहीं किया गया।

स्रोतः आईएमआईएस, डीडीडब्ल्यूएस